

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM - 'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 3416

Indore, Dated 24.12.2022

प्रेषक :

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्री चन्द्रकुमार पिता नारायणदास भवानी,
पता-B-02 लक्ष्मी पैलेस, साधु वासवानी नगर,
जिला-इन्दौर (म.प्र.)
मोबाईल नंबर-9644185947

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 3658 दिनांक 21/12/2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 44/2022-2023 दिनांक 21/12/2022 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है :-

"स्पीड पोस्ट दिनांक 02/07/2021 एवं 13/07/2021 याचिकाकर्तागण ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कूट रचित योजना अनुसार याचिकाकर्ता - 03 का कथन 28/04/2011 का कथन, स्थगन आदेश प्राप्त करते समय माननीय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। स्थगन आदेश 11/05/2011" (विधिक सहायता की आवश्यकता है)


उपरोक्त चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदाय नहीं की जा सकती है :-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) (A) (ii) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/- रु शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान-रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षात्कृत तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है और 50 रु. का भारतीय गैर-न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय आपने भारतीय पोस्टल आर्डर नं. 59F 667913 रु 10/- का प्रस्तुत किया है जो कि मूलतः ही आपको वापिस किया जा रहा है।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) (बी) के तहत मांगी गई जानकारी को बहुत विशिष्ट और सटीक होना आवश्यक है, ताकि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद आसानी से जानकारी की आपूर्ति कर सके परन्तु आपके आर.टी.आई. आवेदन में स्पष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं।
3. आपके द्वारा आर.टी.आई. आवेदन में केस नंबर, माननीय न्यायाधिपति का नाम, निर्णय/आदेश और बैंच के नाम का खुलासा नहीं किया गया है तथा आप क्या जानकारी चाहते है इसका भी आवेदन में खुलासा नहीं किया गया है तथा आपके आवेदन में आपके द्वारा लिखा गया है कि विधिक सहायता की आवश्यकता है। विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये आपको कार्यालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति इन्दौर (म.प्र.) में सम्पर्क करना पड़ेगा।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ) को अपील कर सकते हैं।

संलग्न :- मूल भारतीय पोस्टल आर्डर नं.
59F 667913 रु 10/-

o/c



(राजेश कुमार शर्मा)

लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाइंट रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर